

विषयक,

एच०पी० सिंह

निरीक्षक

3050 शरणा

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

3050, जयपुर

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबी के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय भूमि बस्तियाँ में आसरा योजनाअन्तर्गत इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

अपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1716/173/10/छा/विधि/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-कुरारा-229) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय भूमि बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद हमीरपुर की निकाय-कुरारा की 145 इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना हेतु रु० 758.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 379.04 लाख (रुपये तीन करोड़ पचासी लाख चार हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की परियोजना अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल लागत।	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज धारित एवं सेवर सेट सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर/कुरारा	229	1197.25	145	758.08	379.04
<b>योग</b>				145	758.08	379.04

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
2. प्रथमगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवरय प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*(Handwritten signature)*

3050/7-15

20/8/15

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्रशासन सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा; साथ ही नियमानुसार उचित सांख्यिक वित्तीयक आर्गुमेंट्स एवं पर्यावरणीय विवरण प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं भू-स्वामिकता प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपयुक्तानुसार निर्धारित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रायोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय विधियों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एरकेलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की डिजाइनिंग/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषताओं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइनिंग/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवास योजनान्तर्गत आवासीय के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि दिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/डनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रय हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3060, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 3060, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजघर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्तों की स्त्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस धारा के तहत आवेदन प्राप्त वि. सं. 2015-16 के बाद क्वॉटर अर्थात् कट किया गया। योजनागत/प्रथम वि. सं. के रूप में स्वीकृत उचित धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात तथा उनके समस्त वित्तीय प्रगति/गुणवत्ता के अनुभव होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जाएगा। तदीपगत योजना की अवशेष/द्वितीय वि. सं. की धनराशि अनुमति की जाएगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुसूचित धनराशि यदि कोई हो, तो एकत्रित शेषन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3040, लखनऊ आइएन की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलावट महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करावैनी।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से सहायक तथा धनराशि अनुमति करने से पूर्व अनुबन्ध (एमओयूओ) निष्पादित किये जाने हेतु सूझ द्वारा सम्बन्धित सूझ को निर्देशित किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आवेदन, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एसओएसओपी/टीओएसओपी हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 81 के अंतर्गत लेख शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य।" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-8-2285/दस-2015 दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भारतीय,  
  
 (एसओपी सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या: 16/2015/1541(1)/69-1-15, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम, 3040.20 सरोजनी नावडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय विधि सेवा परीक्षा विभाग, 3040, इकाई तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 5040 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हज़ीरपुर।
5. वित्त (व्यय-निर्माण) अनुभाग-8, 5040 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 5040 शासन।
7. समाज कल्याण (शकट प्रकल्प)/कल्याण नियोजन प्रकल्प, समाज कल्याण विभाग, 3040, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3040, लखनऊ।
10. सहायक वेव मास्टर, सूझ का विभागीय वेव साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/फोन-गृह सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,

(एसओपी सिंह)  
 विशेष सचिव।